

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2016—अग्रहायण 9, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2016 में संशोधन

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. डी-15-62-2016-चौदह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-62-2016-चौदह-3, दिनांक 25 अक्टूबर 2016 में राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैः—

उक्त अधिसूचना में शब्द “उपमंडी प्रांगण घोषित करती है” के स्थान पर “अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है” प्रतिस्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. डी-15-62-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधित अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

AMENDED IN NOTIFICATION DATED 25 OCTOBER 2016

Bhopal, Dated 30th November 2016

No. D-15-62-2016-XIV-3.—The State Government hereby make the following amendment in the notification of this department No. F-15-62-2016-XIV-3 dated 25 October 2016:—

In the said notification for the word “sub market yard” the word “Additional market yard” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.